– 1   2025/21

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार नावां

बनाम

अप्रार्थीगण
मोहनलाल /भूराराम
जाति जाट, भांवता

किस्म प्रकरण : प्रा.पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.   मुकदमा नं. 02 /2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07/01/2025	प्रार्थी तहसीलदार नावां ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार नावां को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। तहसीलदार नावां ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम–भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 1477/556 रकबा 0.0870 हैक्टेयर, किस्म बारानी–3 में से नजरी नक्शानुसार रास्ता मौके पर प्रचलित है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता बिना किसी अवरोध चालू है। उक्त खसरान की भूमी में से प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश प्रदान करावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संबंधित खातेदार काश्तकार ने उक्त प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन एवं तहसीलदार नावां से प्राप्त प्रस्ताव से प्रस्तावित रास्ते के वर्तमान में प्रचलन में होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी तहसीलदार नावां से प्राप्त राजस्व ग्राम–भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 1477/556 रकबा 0.0870 हैक्टेयर, किस्म बारानी–3 में से प्रस्ताव/तकमीना अनुसार प्रार्थना पत्र अधीन अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	